



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony

Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 86 /SEIAA/

Date: 9/4/22

संशोधन

प्रति,

श्री आकाश शर्मा आत्मज श्री आनंद शर्मा
निवासी-ग्राम बडागांव जागीर, मोहना,
जिला ग्वालियर (म.प्र.)-475330

विषय: प्रकरण क्र. 8858/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री आकाश शर्मा आत्मज श्री आनंद शर्मा, निवासी-ग्राम बडागांव जागीर, मोहना, जिला ग्वालियर (म.प्र.)-475330 द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.673 हेक्टेयर, खसरा 1956/4/3/मिन-1, 1956/4/5/मिन-1, 1956/4/4 मिन-1, ग्राम बडागांव जागीर, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर (म.प्र.) ।

संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) समिति की 715वीं बैठक दिनांक 25.03.2022 में लिये गये निर्णय अनुसार ।

SEIAA की 707वीं बैठक दिनांक 23.02.2022 के निर्णय अनुसार उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 07.03.2022 को जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 14.03.2022 के माध्यम से SEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 07.03.2022 में निम्नानुसार संशोधन हेतु अनुरोध किया गया है :-

1. खसरा क्र. 1956/4/4 मिन-1 को जोड़ा जाये।
2. ग्राम बडागांव जागीर के स्थान पर ग्राम बडागाव किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को मान्य करते हुए विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEIAA द्वारा उक्त प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 07.03.2022 में उल्लेखित खसरा क्र में संशोधन कर 1956/4/3/मिन-1, 1956/4/5/मिन-1, 1956/4/4 के साथ 1956/4/4

मिन-1 को सम्मिलित किया जाता है एवं ग्राम का नाम बड़ागांव जांगीर के स्थान पर ग्राम बड़ागाव पढा जायें। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त निर्णय अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 07.03.2022 में उल्लेखित खसरा क्र 1956/4/3/मिन-1, 1956/4/5/मिन-1, 1956/4/4 के साथ 1956/4/4 मिन-1 को सम्मिलित किया जाता है एवं ग्राम का नाम बड़ागांव जांगीर के स्थान पर ग्राम बड़ागाव पढा जाये एवं पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तें यथावत रहेगी।



(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र..

87

/SEIAA/2022 भोपाल

दिनांक 9/4/22

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।



(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी